



राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226027
Website-sudaup.org

पत्रांक : 308/28/76/एक/2018-19

दिनांक : 27 अप्रैल 2018

सेवा में,

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
जनपद-आजमगढ़।

विषय : मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण
महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में आपके जनपद को मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत (अनुदान संख्या-37/83) में निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि अवमुक्त की जा रही है:-

धनराशि का प्रेषण (लाख ₹० में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	धनराशि
यूनियन बैंक आफ इण्डिया	588202010003650	IFSC Code UBIN0558826	109.633

(धनराशि लाख ₹० में)

क्र०सं०	जनपद का नाम	योजना का नाम	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	मु०न०अ०वि० व म०ब०वि० योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण (प्रथम किरत)
1	आजमगढ़	मु०अ०-37	न०प० माहुल	वार्ड न०-03 के अंतर्गत मो० गांधीनगर में जनता इण्टर कालेज के पास रसमुना के घर से बाहा के पास पुलिया तक इण्टरलॉकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	4.537
2	आजमगढ़	मु०अ०-37	न०प० माहुल	वार्ड न०-03 के अंतर्गत मो० गांधीनगर में निन्हक राजभर के घर से रामधारी के घर, केवल राजभर के घर होते हुए रामफेर राजभर के घर तक इण्टरलॉकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	3.287
3	आजमगढ़	मु०अ०-37	न०प० माहुल	वार्ड न०-03 के अंतर्गत मो० गांधीनगर में अशोक यादव के घर से जितई के घर, शिवप्रसाद राजभर के घर होते हुए राम अवध राजभर के घर तक इण्टरलॉकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	3.038
4	आजमगढ़	मु०अ०-37	न०प० माहुल	वार्ड न०-03 के अंतर्गत मो० गांधीनगर में हीरालाल राजभर के घर से लौदू राजभर के घर तक इण्टरलॉकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	1.166
5	आजमगढ़	मु०अ०-37	न०प० माहुल	वार्ड न०-03 के अंतर्गत मो० गांधीनगर में राधेश्याम के घर से कालीचौरा मन्दिर तक इण्टरलॉकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	3.652
6	आजमगढ़	मु०अ०-37	न०प० माहुल	वार्ड न०-03 के अंतर्गत मो० गांधीनगर में सुभाष मौर्या के घर से हरिलाल के घर तक इण्टरलॉकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	1.290
7	आजमगढ़	मु०अ०-37	न०प० माहुल	वार्ड न०-03 के अंतर्गत मो० गांधीनगर में रमेश राजभर के घर से रसमुना के घर तक इण्टरलॉकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	2.322



राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226027

Website-sudaup.org

75/2

क्र०सं०	जनपद का नाम	योजना का नाम	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	मु०न०अ०वि० व म०ब०वि० योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण (प्रथम किश्त)
8	आजमगढ़	मु०अ०-37	न०प० माहुल	वार्ड न०-03 के अंतर्गत मो० गांधीनगर में ओमप्रकाश शर्मा के घर से कालीचौरा होते हुए विजय शर्मा के घर तक इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य।	5.374
9	आजमगढ़	मु०अ०-37	न०प० माहुल	वार्ड न०-03 के अंतर्गत मो० गांधीनगर में जवाहिर शर्मा के घर से चन्द्रभूषण शर्मा के घर होते हुए नन्दलाल शर्मा के घर तक इण्टरलॉकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	5.374
10	आजमगढ़	मु०अ०-37	न०प० माहुल	वार्ड न०-03 के अंतर्गत मो० गांधीनगर में इन्द्रपाल शर्मा के घर से सरगुन के घर होते हुए शंकर मन्दिर तक इण्टरलॉकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	3.879
11	आजमगढ़	मु०अ०-37	न०प० माहुल	वार्ड न०-03 के अंतर्गत मो० गांधीनगर में शीतल शर्मा के घर से यशवन्त लाल शर्मा के घर तक नाली निर्माण कार्य।	1.081
12	आजमगढ़	मु०अ०-37	न०प० माहुल	वार्ड न०-03 के अंतर्गत मो० गांधीनगर में बल्लू शर्मा के घर से ब्रजेश के घर होते हुए शंकर मन्दिर तक इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य।	5.409
13	आजमगढ़	मु०अ०-37	न०प० माहुल	वार्ड न०-03 के अंतर्गत मो० गांधीनगर में शंकर मन्दिर से रामलौटन के घर तक इण्टरलॉकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	4.413
14	आजमगढ़	मु०अ०-37	न०प० माहुल	वार्ड न०-03 के अंतर्गत मो० गांधीनगर में शिवकुमारी के घर से जनारदन के घर तक इण्टरलॉकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	2.972
15	आजमगढ़	मु०अ०-37	न०प० माहुल	वार्ड न०-03 के अंतर्गत मो० गांधीनगर में केदार शर्मा के घर से राकेश शर्मा के घर तक इण्टरलॉकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	4.929
16	आजमगढ़	मु०अ०-37	न०प० माहुल	वार्ड न०-03 के अंतर्गत मो० गांधीनगर में कालीका शर्मा के घर से अरुण शर्मा के घर तक इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य।	7.198
17	आजमगढ़	मु०अ०-37	न०प० माहुल	वार्ड न०-04 के अंतर्गत मो० नेहरू नगर में आलोक शर्मा के घर से गोली के घर होते हुए हंसराज पाण्डेय के घर तक इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य।	4.244
18	आजमगढ़	मु०अ०-37	न०प० माहुल	वार्ड न०-04 के अंतर्गत मो० नेहरू नगर में हंसराज पाण्डेय के घर से हरदेव पाण्डेय के घर तक इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य।	1.682
19	आजमगढ़	मु०अ०-37	न०प० माहुल	वार्ड न०-04 के अंतर्गत मो० नेहरू नगर में घनश्याम पाण्डेय के घर से रवि प्रसाद के घर तक इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य।	7.215
20	आजमगढ़	मु०अ०-37	न०प० माहुल	वार्ड न०-04 के अंतर्गत मो० नेहरू नगर में चन्द्र प्रताप पाण्डेय, मन्दिर के पास से महेन्द्र विश्वकर्मा के घर होते हुए दिवाकर पाण्डेय के घर तक इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य।	5.610



राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226027

Website-sudaup.org

क्र०सं०	जनपद का नाम	योजना का नाम	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	मु०न०अ०वि० व म०ब०वि० योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण (प्रथम किश्त)
21	आजमगढ़	मु०अ०-37	न०प० माहुल	वार्ड न०-05 के अंतर्गत मो० बल्लबभाई पटेल केवटाना में मेनरोड पर शंकर जी मन्दिर से कालीचौरा तक इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य।	4.916
22	आजमगढ़	मु०अ०-37	न०प० माहुल	वार्ड न०-05 के अंतर्गत मेन रोड निषाद बस्ती में सरकारी हैण्डपम्प से चन्द्रशेखर निषाद के घर तक इण्टरलॉकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	3.670
23	आजमगढ़	मु०अ०-37	न०प० माहुल	वार्ड न०-05 के अंतर्गत मेन रोड पूरब तरफ बी०आर० एडवोकेट के घर से पोखरी उत्तर तरफ नाली निर्माण कार्य।	1.272
24	आजमगढ़	मु०अ०-37	न०प० माहुल	वार्ड न०-09 के अंतर्गत मो० सुभाष में नया माहुल कार्यालय रोड से मायाराम के घर तक इण्टरलॉकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	5.400
25	आजमगढ़	मु०अ०-37	न०प० माहुल	वार्ड न०-09 के अंतर्गत दयाराम के घर से अभयराज के घर तक इण्टरलॉकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	4.924
26	आजमगढ़	मु०अ०-37	न०प० माहुल	वार्ड न०-09 के अंतर्गत रामप्यारे के घर से राजेन्द्र राम के घर होते हुए मेनरोड तक इण्टरलॉकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	10.779
	योग				109.633

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये:-

- 1- उ०प्र० सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजना हेतु स्वीकृत डी०पी०आर०/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जायें। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।
- 2- स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।
- 3- प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति आवश्यक प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।
- 4- अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत्र से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 5- स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाध्यता/पुरातत्व विभाग आदि के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।



राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226027

Website-sudaup.org

- 6- प्रश्नगत परियोजनाओं में स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।
- 7- परिसम्पत्तियों के सृजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख-रखाव में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।
- 8- योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2018-19 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नहीं प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित ब्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।
- 9- उक्त धनराशि डूडा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य क्रमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।
- 10- प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की स्रोत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
- 11- अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्ययवर्तन अनुमन्य न होगा, शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के कम में धनराशि जनपद को अवमुक्त की जा रही है। उपरोक्त अंकित कार्यों में यदि कार्य/धनराशि की दैरावृत्ति हो रही हो तो उसका भुगतान न करते हुये उसकी सूचना अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 12- शासन द्वारा उक्त परियोजना में आगणन के सापेक्ष 50 प्रतिशत की प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त की गई है जिसमें अनुमन्य सेन्टेज की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्तापरक कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष भौतिक प्रगति सहित अभिकरण को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(साजिद आजमी)
वित्त नियन्त्रक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक/परि० अधि०, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
2. कार्यक्रम अधिकारी, सूडा।
3. अधि० अभियन्ता-सूडा
4. कम्प्यूटर सेल/लेखा विभाग-सूडा।

(साजिद आजमी)
वित्त नियन्त्रक